2026/23

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस.

राज्य सरकार बनाम ग्राम निटूटी का ख0न0 414 व 696/414

निर्णय दिनांक– 9-2-2026

राजस्व प्रार्थना संख्या–24/2026
जी.सी.एम.एम. संख्या–2026/23

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम निटूटी पटवार हल्का निटूटी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रूपनगढ़ के ख0न0 414 व 696/414 में मौके पर चालू 5940 वर्ग मीटर लम्बाई के रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अंकित कराने बाबत् तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रकरण में स्पष्ट जांच रिपोर्ट पुनः मंगवाई गयी। प्रार्थना पत्र के साथ हल्का पटवारी मौका पर्चा, प्रतिवेदन व सहमति पत्र संलग्न है। तदनुसार तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा पेश उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर **ग्राम निटूटी के ख0न0 414 में से 2440 वर्गमीटर व 696/414 में से 3500 वर्गमीटर (कुल रकबा 0.5940 हैक्ट.)** भूमि को तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में नजरी नक्शे में दर्शित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा दर्शाया गया नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 9-2-26 लिखवाया जाकर सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

क्रमांक– 411-412

दिनांक– 10-2-26

प्रतिलिपि–

1. तहसीलदार रूपनगढ़ को भेजकर लेख है कि उक्त निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. रक्षित पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)